परिपत्र संख्या-स0द0/ /कम्प्यूटर परि0सं0 / 1682/1920073/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 28 नवम्बर, 2019

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0),

असिस्टेन्ट कमिश्नर (सचलदल),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-8941/2019 [SLP(C)No.25291/2019] में दिए गए निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में।

दिनांक 01-07-2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात प्रदेश में कार्यरत प्रवर्तन इकाइयों द्वारा विभिन्न कार्यवाहियों में किए गए माल अथवा माल व वाहन के अभिग्रहण के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिकाएं दाखिल की जाती रही हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अनेक ऐसे मामलों में नकद एवं बैंक गारण्टी से भिन्न अथवा विकल्प के रूप में कर एवं अर्थदण्ड के बराबर अभिग्रहणकर्ता अधिकारी के संतोषानुसार इंडेम्निटी बांड प्रस्तुत करने पर माल अथवा माल एवं वाहन अवमुक्त किए जाने के अंतरिम आदेश के अनुपालन में प्रवर्तन इकाइयों द्वारा माल अथवा माल एवं वाहन को अनन्तिम रूप से अवमुक्त किये गये हैं। कालांतर में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा माल अथवा माल एवं वाहन अवमुक्त कर दिए जाने के फलस्वरूप रिट याचिकाओं का प्रयोजन निष्फल मानते हुए दाखिल रिट याचिकाओं को निस्तारित कर दिया गया है अथवा दाखिल रिट याचिकाएं अभी लम्बित हैं।

ऐसे ही एक मामले में सर्वश्री के0पान फ्रेगरेंसेस प्रा0लि0 द्वारा माल के अभिग्रहण के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या-866/2019 योजित की गई थी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निम्न अंतरिम आदेश पारित किया गया था -

"In the meantime, subject to deposit of security other than cash or bank guarantee or in the alternative accept an indemnity bond, equal to the value of tax and penalty, if any, to the satisfaction of seizing authority, the goods of the petitioner along with the vehicle may be released forthwith."

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष [SLP(C)No.25291/2019] सिविल अपील संख्या-8941/2019 योजित की गई। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22-11-2019 से विभाग द्वारा दाखिल अपील स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया है -

"In our opinion, therefore, the orders passed by the High Court which are contrary to the stated provisions shall not be given effect to by the authorities. Instead, the authorities shall process the claims of the concerned assesse afresh as per the express stipulations in section 67 of the Act read with the relevant rules in that regard. In terms of

this order, the competent authority shall call upon every assesse to complete the formality strictly as per the requirements of the stated provisions disregarding the order passed by the High Court in his case, if the same deviates from the statutory compliances. That be done within four weeks without any exception."

कृपया समविषयक ऐसे सभी मामलों जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिकाओं को निष्फल घोषित करते हुए निस्तारित कर दिया गया है अथवा जिनमें इसी तरह के अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं और याचिकाएं अभी तक लम्बित हैं, में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित अवधि चार सप्ताह के अन्दर अर्थात दिनांक 20-12-2019 तक अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कृत कार्यवाही से सूचित करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।